

338 के अन्तर्गत एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसका कार्य सफाई कर्मचारियों सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की जांच करना है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग भी है जिसके समान कार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित एक संसदीय समिति भी है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को देखती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए केवल सफाई कर्मचारियों के लिए अन्य कोई आयोग आवश्यक नहीं समझा जाता।

District Centre near Wazirpur Depot Delhi

1938. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the purpose for which land on ring road near Wazirpur Depot in Delhi and opposite district centre is earmarked;

(b) the details of the project proposed to be constructed on this land; and

(c) by when the construction on the project is likely to start and complete?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) The land on ring road near Wazirpur Depot has been earmarked for service industries/transport terminal according to Delhi Master Plan/Zonal Development Plan.

(b) About 6 hec. of land has been allotted by DDA for the construction of DTC Depots and a Printing Press Complex has been planned in an area of 3.5 hec. 16 plots have been carved out for Printing of Newspapers.

(c) DTC Depots have already been constructed and are functioning. Development work for the Printing Press Complex has been started recently.

Irrigation potential

1939. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the present irrigation potential in the country;

(b) the potential expected towards the end of the Seventh Five Year plan period; and

(c) the allocation of funds made for the purpose during the Seventh Five Year Plan?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND):

(a) The anticipated irrigation potential created up to the end of Sixth Plan is 67.9 Million hectares.

(b) A target of 12.9 million hectares of additional irrigation potential has been fixed for the Seventh Plan.

(c) The approved Government outlay for irrigation sector during the Seventh Plan is Rs. 14360.55 crores alongwith an anticipated institutional investment of about Rs. 3500 crores.

जी. डी. ए. द्वारा लारेंस क्षेत्र का विकास

1940. डा. गोविन्द दास रिछारिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के जोनल डवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत लारेंस रोड आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्र में लघु राजी मण्डी, कम्युनिटी सेन्टर, चलचित्र गृह, लॉडिंग प्लेटफार्म आदि बनाए जाने थे;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों में इनके निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हाँ। क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास नक्शे में, फल एवम् सब्जियों की एक छोटी मार्किट तथा एक सामुदायिक केन्द्र जिसमें सिनेमा, खुदरा दुकानें, कार्यालय, विपणन तथा अन्य सामुदायिक सुविधायें जैसे डाक घर, कार्यालय, पुलिस चौकी, बैंक आदि की व्यवस्था हो, के लिये स्थल उद्दिष्ट किये गये हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फल एवम् सब्जी मार्किट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए एक परिपूर्ण परियोजना दिल्ली नगर कला आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी थी। आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि दिल्ली विकास प्राधिकरण फल एवं सब्जी की एक छोटी मार्किट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए अलग-अलग नक्शे प्रस्तुत करे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फल एवम् सब्जी की छोटी मार्किट की योजना का कार्य एक निजी परामर्श कम्पनी को दिया है तथा उसकी परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। सामुदायिक केन्द्र के लिए संशोधित योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं तैयार की जा रही है। दिल्ली नगर कला आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो जाने की उपरान्त ही इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

डॉ. डी. ए. द्वारा संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन

1941. डा. गोविन्द दास रिछाौरिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया और संसद सदस्यों को उनके निर्धारित कोटे के अनुसार कितने फ्लैट आवंटित किए गए और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ ये फ्लैट आवंटित किए गए हैं ;

(ख) संसद सदस्यों के कितने प्रार्थना पत्र प्राधिकरण के पास लम्बित हैं; और

(ग) उन पर प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अशोक विहार, शालीमार बाग, कालकाजी, दिलशाद गार्डन, सराय जुलियाना, शेख सराय में संसद सदस्यों को सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग श्रेणी के 28 फ्लैट आवंटित कर दिए हैं। 30 फ्लैट स्वयं चयनित योजना के अन्तर्गत आवंटित किए गए थे जिनमें से 5 आवेदकों ने पहले ही अपना विकल्प वापस ले लिया है।

(ख) सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत संसद सदस्यों के 14 आवेदन-पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) जिन संसद सदस्यों को फ्लैटों का नियत किया गया है, उन्हें, जब फ्लैट का विशिष्ट पहचान नम्बर के लिए डू निकाला जाएगा, फ्लैट दे दिए जायेंगे।

केन्द्रीय जल आयोग के पास लम्बित सिंचाई योजनाएं

1942. श्री रामचन्द्र विकस : क्या जल संसाधन मंत्री यह स्वतन्त्र की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जल आयोग के पास कुल कितनी बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत के लिए विचाराधीन हैं;

(ख) कितनी योजनाओं की जांच कराई गई है और कितनी स्वीकृत की जा चुकी है और उन पर कितनी अनुमानित राशि खर्च होगी; और

(ग) इन स्वीकृत योजनाओं सहित कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकती है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) :

(क) 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार 141 बृहद तथा 107 मध्यम सिंचाई स्कीमों केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन थीं, लघु सिंचाई स्कीमों राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही स्वीकृत की जाती हैं तथा केन्द्रीय जल आयोग को नहीं भेजी जाती।